आज दिनांक 27.09.11 को 3 बजे अपराहन में उपायुक्त, राँची की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आयोजित बैठक की गई कार्रवाही।

उपस्थित पदाधिकारीगण

1. उपायुक्त, रॉची।
2. अध्यक्ष (जिला परिषद) रॉची।
3. वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉची।
4. उप विकास आयुक्त, रॉची।
5. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची।
6. अपर समाहर्त्ता, रॉची।
7. कार्यपालक अभियंता,
   पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हटिया रॉची।
8. कार्यपालक अभियंता,
   पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रूका रॉची।
9. कार्यपालक अभियंता,
   पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, बुटी रॉची।
10. कार्यपालक अभियंता,
    पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोन्दा रॉची।
11. श्री मुकुल लकड़ा
    जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, रॉची।
12. जिला परिवहन पदाधिकारी, रॉची।

उपायुक्त द्वारा जिला आपदा प्रबन्घन प्राधिकरण के दायित्व एवं उद्देश्य के संबंध में प्रकाश डाला गया :–

I. जिला स्तर पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा से निपटने हेतु आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण एवं अद्यतन तथा योजना के आधार पर संचालित किये जा रहे कार्यो का मूल्यांकन करना।

II. जिला स्तर पर आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रो का चिन्हीकरण एवं उसके लिये विभिन्न विभागो से आपदा के न्यूनीकरण हेतु योजना तैयार कर उसका क्रियान्यन करना ।

III. आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, झारखण्ड सरकार द्वारा समय–2 पर दिये निर्देशो का पालन करना।

IV. आपदाओं से बचाव एवं न्यूनीकरण हेतु समय –2 पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना।

V. विभिन्न प्रकार की आपदाओ से बचाव हेतु समुदाय तथा सरकारी एवं गैरसरकारी कर्मचारियो, पंचायत प्रतिनिधियो, नगर निगम के चयनित प्रतिनिधियो का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना का निर्माण करना एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

VI. किसी प्रकार की आपदा मे राहत एवं बचाव कार्य में किसी भी सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओ से सहयोग लेना। आपदा से प्रभावित व्यक्तियो को तत्काल राहत तथा मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराने हेतु किसी भी भवन एवं जगह का चिन्हीकरण करना।

VII. आपदा प्रबन्धन अधिनियम मे उल्लेखित अन्य धाराओ एवं निर्देशो का पालन करना।

उपायुक्त द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनो क्षेत्रो के लिए अलग–अलग आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन में सबसे आवश्यक होता है संचार व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत से लेकर प्रखण्ड स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों, स्वंयसेवी संस्थाओं के मोबाईल नं0 नाम सहित संकलित कर लिया जाय। उसी प्रकार शहर क्षेत्र में वार्ड पार्षद से लेकर नगर निगम तक के कर्मचारियों/अधिकारियों/स्वंयसेवी संस्थाओं के मोबाईल नं0 संकलित कर लिया जाय।

किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए संसाधनो की आवश्यकता होती है, इस लिए ग्राम स्तर से लेकर शहर तक उपस्थित आपदा में कार्य आने वाले संसाधनो जैसे अस्पताल, क्रेन, ट्रेक्टर, पेट्रोल पम्प, मिटी तेल के डीपो, जे0सी0बी0 एवं पोकलैण्ड मशीन के आपूर्तिकर्त्ता इत्यादि के बारे में सूची नाम दूरभाष सहित तैयार कर लिया जाय।

पिछले दिनो घटी घटनाओं जैसे बुण्डू में बस दुर्घटना, भूकम्प के झटके, शहर में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुये भवनो के संबंध में उपायुक्त राँची द्वारा ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया, कि यदि हमारी पहले से इस प्रकार की घटनाओ से बचाव हेतु तैयारी हो तो होने वाली जन–धन की हानि को कम किया जा सकता है।

2. जिला आपदा नियन्त्रण केन्द्र को पूर्णतया रूप से सुसज्जित एवं संसाधन युक्त बनाये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता पर चर्चा किया गया।उपायुक्त द्वारा यह निर्देश दिया गया कि धनराशि की मॉग हेतु कार्ययोजना आपदा प्रबन्धन विभाग ,झारखण्ड सरकार को भेजा जाये।

3. अपर समाहर्त्ता द्वारा उपयुक्त महोदय को अवगत कराया गया कि द्वारा किसी भी प्रकार की आपदा/दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की तत्काल पहचान व उसे आपात कालीन एवं चिकित्सीय सेवा सुनिश्चित करना, खोज बचाव एवं प्राथमिक उपचार दल के कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती होती है। दुर्घटना ग्रस्त घायल व्यक्ति के अभिभावक एवं निकटस्थ परिजनों से सम्पर्क स्थापित कर घटना की जानकारी एवं घायल व्यक्ति की अवस्था बताना, राहत एवं बचाव दल की प्राथमिकता होती है। चूँकि मोबाईल की उपलब्धता सर्व साधारण है, अतः उपरोक्त उद्देश्य से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा "ICE"/ "आपदा मित्र" तथा "ICE ME"/"आपदा सेवा" के नाम से आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा वर्त्तमान समय में एक नवीन उपक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

4. अंचल स्तर पर आपदा केन्द्र की व्यवस्था करने हेतु उपायुक्त द्वारा यह निर्देश दिया गया कि धनराशि की मॉग हेतु कार्ययोजना आपदा प्रबन्धन विभाग ,झारखण्ड सरकार को भेजा जाये।

5. दिनांक 24.09.11 को उपायुक्त राँची के अध्यक्षता में शांतिसमिति/आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्देश दिया गया कि सभी प्रखण्ड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन कर ली जाय एवं इसमें सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी उक्त समिति में सम्मिलित किया जाय। साथ ही आपदा प्रबंधन की बैठक प्रखण्ड स्तर पर नियमित रूप से की जाय। प्रखण्ड आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य रहेगें।

1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अंचल अधिकारी	सदस्य सचिव
3.	थाना प्रभारी	सदस्य
4.	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
5.	बाल चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
6.	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	सदस्य
7.	सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0	सदस्य
8.	सहायक अभियंता, आर0ई0ओ0	सदस्य
9.	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई	सदस्य
10.	सहायक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल	सदस्य
11.	सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य

6. जिला आपदा प्रबन्घन योजना के अद्यतन हेतु उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि इसके लिये अपर समाहर्ता की अध्यक्षता मे समिति का गठन कर सम्बन्धित विभागो के विभागाध्यक्षो के साथ बैठक कर योजना को तैयार कर लिया जाये।

7. प्रखण्ड को आपदा राहत निधि द्वारा राहत वितरण हेतु आवटित धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्रखण्ड द्वारा समय से उपलब्ध न कराये जाने पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होने अपर समाहर्ता

को निर्देश दिया कि उक्त प्रसंग से सम्बन्धित बैठक प्रतिमाह कर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।इसके अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा प्रतिमाह मासिक रिर्पोट सभी प्रखण्ड स्तर से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

8. शहरी जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमो के बारे में डी0पी0ओ0 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान 30 वार्डो की आपदा प्रबन्घन योजना तैयार कर लिया गया है।30 विद्यालयो ने अपनी आपदा प्रबन्धन योजना आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध करा दिया है। शहरी जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के कार्य को तीब्रगति से संचालित किये जाने हेतु उपायुक्त द्वारा निर्देश दिये गये।उन्होने यह भी निर्देश दिया कि शहर आपदा प्रबन्धन योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में प्रतिमाह बैठक आयोजित किया जाये।शहर के प्रशासनिक भवनो पर पूर्वाभ्यास कराये जाने हेतु भी निर्देश दिया गया। जे0यू0एन0एन0आर0एम0 परियोजना एवं शहर के विकास के लिये संचालित किये जारहे अन्य परियोजना को शहरी जोखिम न्यूनीकरण परियाजना के साथ समन्वय कैसे किया जाये उक्त के सम्बन्ध में एक कार्यशाला आयोजित करने हेतु निर्देश भी उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया।

9. विभिन्न विभागो द्वारा ग्रामस्तर एवं शहर स्तर पर संचालित की जा रही परियोजनाओं को आपदाओ के न्यूनीकरण के लिये कारगर हो सके इसपर जोर देते हुये उपायुक्त महोदय ने आदेश दिया कि वर्तमान मे हुई वर्षा के कारण जिन स्थानो पर जल जमाव हो रहे है, अथवा वर्षा के कारण क्षति ग्रस्त हो गये सार्वजनिक परिसम्पत्तियो के पुनर्निमाण हेतु कार्यदायी संस्था एक व्यापक कार्य योजना एक माह में तैयार करले। उक्त कार्य योजना जिला आपदा प्रबन्घन प्राधिकरण के बैठक में समीक्षा हेतु रखा जाय। यदि आवश्यक हो तो योजना निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजित कर लिया जाये।

10. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा इंडियन डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क के वेबसाईट के संबंध में उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त वेबसाईट के आकड़ो को एक माह के अन्दर अद्यतन कर दिया जाय।

11. मोटर दुर्घटना अधिनियम की धारा 156 (6) का शत प्रतिशत अनुपालन करने का आग्रह उपायुक्त महोदय द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक व जिला परिवहन पदाधिकारी से किया गया, जिससे मोटर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित राहत निधि उपलब्ध कराये जा सके।

बैठक की कार्रवाई सधन्यवाद समाप्त की गई।

अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार
—सह—
उपायुक्त, राँची।

ज्ञापांक............................../रा0, दिनांक............................./11
प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि :— सभी संबंधित पदाधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार
—सह—
उपायुक्त, राँची।